संख्या 536/चौवालिस-2-72-86/88

प्रेषक,

श्रीमती नीरा यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम
तथा नोयडा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक।

लखनऊ : दिनांक 12 अप्रैल, 1988।

विषय :- निगमों की सेवा में दक्षता सुनिश्चित करना।

महोदय,

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों का देश के आर्थिक विकास एवं समुन्नति में विशेष महत्व है। प्रदेश की उन्नति एवं विकास में सम्यक् योगदान देने के लिये इन निगमों की उत्पादकता तथा उनमें कार्यरत कर्मियों की दक्षता का उच्चस्तर का होना आवश्यक है। इसीलिये द्वितीय वेतन आयोग ने निगमों की सेवा में दक्षता एवं उत्पादकता (इफीसियेन्सी एण्ड प्रोडक्टीविटी) का उच्चस्तर बनाये रखने पर बल दिया और अकुशलता एवं अनुत्पादकता (इफीसियेन्सी एण्ड इन इन्डीकेट परफारमेन्स) का निराकरण करने हेतु सुझाव दिया। अतः इस दिशा में एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता है जिससे कि निगमों में उच्चस्तरीय दक्षता एवं लाभकारी उत्पादकता बनी रहे और यह तभी संभव है जब हर स्तर पर कर्मचारियों के कार्य तथा सामान्य व्यवस्था एवं कार्यप्रणाली का समय-समय पर परीक्षण एवं विवेचन होता रहे। इस संबंध में विभिन्न निगम अपने कार्यक्षेत्र एवं कार्य-पद्धति के अनुसार अलग-अलग प्रणाली अपना सकते हैं परन्तु सभी का लक्ष्य उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा कार्यकुशलता का उच्चस्तर पर बनाये रखना ही होगा। इस कार्य हेतु निम्न व्यवस्था निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त की जा सकती है :-

(1) कर्मचारियों की कार्यकुशलता तथा निगम की उत्पादकता के संबंध में मानदण्ड निर्धारित किया जाय, यह मानदण्ड कर्मचारी के स्तर व कार्यक्षेत्र आदि के अनुसार अलग-अलग हो सकते है लेकिन सभी कार्यक्षेत्र के और सभी स्तर के लिये एक निश्चित मानदण्ड अवश्य होवे।

(2) मानदण्ड निर्धारित होने के बाद कर्मचारियों की कार्यकुशलता तथा निगम की उत्पादकता का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाय और यह देखा जाय कि उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में कहाँ-कहाँ सुधार अपेक्षित है और उसके लिये क्या कार्यवाही की जा सकती है। यदि किन्हीं मामलों में उत्पादकता या कार्यकुशलता में गिरावट परिलक्षित होती है तो उसके कारणों का भी पता लगाया जाय और उन्हें दूर करने हेतु सुझाव दिये जायें जिससे कि इस प्रकार की स्थिति पर रोक लगायी जा सके।

(3) यदि किन्हीं मामलें में प्रयास करने और सुधार का बार-बार अवसर देने के बाद भी उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार नहीं दीखता है तो ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध सेवा से मुक्त करने या इसी प्रकार की अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जाय। जिससे इस प्रकार की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने पर निगमों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में सुधार होने के साथ ही साथ उनको होने वाली हानि पर भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा और निगम एक लाभकारी उपयोगी इकाई के रूप में अपने को स्थापित करने में समर्थ हो सकेगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नीरा यादव,
सचिव।